



Neutral Citation No. - 2026:AHC:177383

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 7729 सन् 2025**

अमित सिंह एवं 6 अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी (गण)

---

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अजय सेंगर, केशरी नन्दन सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : अजय सिंह सेंगर, जी.ए., राजा सिंह परिहार

---

**न्यायालय संख्या - 69**

**माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना**

1. यह विशेष रूप से नियत मामला है।

2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2-क. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।

3. यह मामला वैवाहिक प्रकृति का है। आवेदक संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 2/सूचनाकर्ता का विवाह हिन्दू रीति-रिवाज एवं रस्मों के अनुसार संपन्न हुआ था, किंतु विवाह के शीघ्र पश्चात् ही पक्षकारों के मध्य वैवाहिक मतभेद उत्पन्न हो गए, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और फलतः आवेदकों (पति एवं ससुराल पक्ष के सदस्यों) को अभियुक्त बनाया गया। आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अभियुक्तगण ने इस न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया। इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2025 के माध्यम से मामला मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया गया था। आदेश दिनांक 09.04.2025 को निम्नवत् पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय सेंगर का ब्रीफ धारण करने वाली सुश्री गुंजन यादव, विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय सिंह सेंगर का ब्रीफ धारण करने वाले श्री रामेन्द्र सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुश्री हर्षिता रानी को सुना गया।

2. वर्तमान आवेदन आरोप-पत्र दिनांक 18.11.2024 तथा संज्ञान/समन आदेश दिनांक 01.01.2025, साथ ही आपराधिक वाद संख्या 66/2024, मुकदमा अपराध संख्या 78/2024, धारा 498-ए, 323 भा.दं.सं. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान कार्यवाही वैवाहिक प्रकृति के अपराध से उत्पन्न हुई है और इसलिए मामले को मध्यस्थता केंद्र को संदर्भित किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त के दृष्टिगत, मामला उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मध्यस्थता केंद्र को इस शर्त के अधीन संदर्भित किया जाता है कि आवेदक आज से तीन सप्ताह के भीतर मध्यस्थता केंद्र में ₹30,000/- की धनराशि जमा करेंगे, जिसमें से ₹25,000/- विपक्षी संख्या 2 को मध्यस्थता केंद्र के समक्ष उसके उपस्थित होने पर, मध्यस्थता केंद्र द्वारा नियत की जाने वाली तारीख को, भुगतान किए जाएंगे। शेष ₹5,000/- मध्यस्थता केंद्र द्वारा अपने व्यय के मद में रखे जाएंगे।

5. यह भी निर्देशित किया जाता है कि मध्यस्थता केंद्र के समक्ष धनराशि जमा करते समय आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता वर्तमान मामले में उल्लिखित पक्षकारों का मेमो, साथ ही निजी विपक्षीगण का व्हाट्सएप नंबर तथा ई-मेल आईडी, यदि उपलब्ध हो, भी दाखिल करेंगे।

6. विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी किया जाए।

7. उपर्युक्त धनराशि उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर जमा किए जाने के पश्चात्, पक्षकारों को मध्यस्थता हेतु कोई तारीख नियत करते हुए नोटिस जारी किए जाएंगे और मध्यस्थता केंद्र मध्यस्थता एवं सुलह की कार्यवाही को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए सभी संभव प्रयास करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. मध्यस्थता केंद्र की आख्या के साथ जुलाई, 2025 के प्रारंभ होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाए।”

9. यह भी उपबंधित किया जाता है कि यदि आवेदकगण उपर्युक्त धनराशि जमा किए जाने की रसीद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दाखिल कर देते हैं, तो अगली नियत तिथि तक उपर्युक्त मामले में आवेदकगण के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाई नहीं की जाएगी।

10. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदकगण उपर्युक्त धनराशि जमा किए जाने की रसीद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो अधीनस्थ न्यायालय आवेदकगण के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतरिम आदेश अगली नियत तिथि तक प्रदान किया गया है। यदि आवेदकगण नियत तिथि के पश्चात् अंतरिम आदेश को विस्तारित करने वाले इस न्यायालय के किसी आदेश को प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो अधीनस्थ न्यायालय आवेदकगण के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।”

4. उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में पक्षकार मध्यस्थता हेतु उपस्थित हुए। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र की दिनांक 17.10.2025 की आख्या से यह प्रकट होता है कि पक्षकारों ने मध्यस्थता के दौरान समझौते के माध्यम से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है। उक्त आख्या अभिलेख पर उपलब्ध है।

5. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदन का विरोध किया है।

6. जब पक्षकारों ने अपने मतभेदों को समाप्त कर लिया है और मुख्य साक्षी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करेगा, तो विचारण को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गीता मेहरोत्रा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2012) 10 एस.सी.सी. 741** के मामले में अपने अनुभव के आधार पर यह टिप्पणी की है कि वैवाहिक विवाद में होने वाले घरेलू झगड़े में परिवार के समस्त सदस्यों को अभियुक्त बनाने की प्रवृत्ति रहती है। इसी प्रकार, **कहकशां कौसर उर्फ सोनम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2022) 6 एस.सी.सी. 599** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 498-ए भा.दं.सं. के दुरुपयोग तथा पति के रिश्तेदारों को अभियुक्त बनाए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर टिप्पणी की है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



**8. नरेंद्रिा कुमार एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 4048**

के मामले के प्रासंगिक पैरा 21 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 तथा दं.प्र.सं. की धारा 482 (धारा 528 बी.एन.एस.एस.) के अंतर्गत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त समविस्तृत शक्तियों पर विचार किया है। गैर-शमनीय अपराध में, विशेष रूप से वैवाहिक मामलों में, समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किए जाने के प्रश्न पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों पर विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया है कि पीड़ित एवं अपराधकर्ता के मध्य हुए समझौते एवं सुलह के आधार पर कार्यवाही को निरस्त करने की संवैधानिक न्यायालयों में निहित अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए।

9. पक्षकारों के मध्य हुए समझौते तथा ऊपर उल्लिखित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक वाद संख्या 66/20255, मुकदमा अपराध संख्या 78/2024, धारा 498-ए, 323 भा.दं.सं. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना-महिला थाना नवाबाद, जनपद-झाँसी की संपूर्ण कार्यवाही, जिसमें आरोप-पत्र दिनांक 18.11.2024 तथा संज्ञान/समन आदेश दिनांक 01.01.2025 भी सम्मिलित हैं, एतद्वारा रद्द किए जाते हैं।

10. उपर्युक्त के दृष्टिगत, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

11. इस आदेश की एक प्रति अनुपालनार्थ रजिस्ट्रार (अनुपालन) के माध्यम से संबंधित जिला न्यायाधीश को भेजी जाए।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

21 अगस्त, 2026

शरद/-